राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–576 / 2014 / उदयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, वृत्त–'सी–, उदयपुर ...अपीलार्थी
बनाम
मै. सेलीब्रेशन बेकरी, उदयपुर ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री आर.के.खदाव
उप राजकीय अभिभाषक ...अपीलार्थी की ओर से
अनुपस्थित ...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 12.09.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 229 / वैट / 12–13 / उदयपुर में पारित आदेश दिनांक 06.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत्त–'सी–, उदयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2009–10 हेतु पारित आदेश दिनांक 12.12.2011 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम 2003"** कहा जायेगा) की धारा 23, 24, 55 एवं 58 के तहत कायम की गई शास्ति राशि को विवादित करने पर अपील स्वीकार करते हुये कर शास्ति को अपास्त किया है जिसके विरूद्ध अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

2. बहस विद्वान उपराजकीय अभिभाषक एकपक्षीय सुनी गई।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। विचाराधीन प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवसायी द्वारा त्रैमासिक बिक्री विवरण पत्र वेट 10 / वार्षिक विवरण पत्र 10 A समय पर प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 56 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

त्रैमास	नियम तिथी	प्रस्तुत करने की तिथी / विलम्ब गणना दिनांक	विलंब की अवधि दिनों में	त्रैमास की कुल राशि	धारा 58 के अधीन शास्ति
ist quarter	16.08.2009	01.08.2011	715	18310	5493
lind quarter	30.10.2009	01.08.2011	640	36266	10880
llind quarter	30.1.2010	01.08.2011	548	38479	11544
lvth quarter	30.05.2010	01.08.2010	428	36087	10826
vat-10'A'	30.09.2011	01.08.2011	0		0
AUDIT REPORT	30.09.2011	NA			
TOTAL				129142	38743

4. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक पेज 16 (1052) कर / वेट / भा / 2011 / 1164 दिनांक 2.11.2011 जारी की गई जो निम्न प्रकार है :–

लगातार............2

The Deemed Assessment Scheme was announced by the State Government on 16-05-2011 wherein, the dealers who have submitted their all returns including annual return or audit report as the case may be, and have also deposited the due tax up to 30-09-2011 for the year 2009-10 where eligible under the Scheme subject to the condition mentioned therein.

(1) where the dealer has filed annual return or audit report, as the case may be for the year 2009-10 within the prescribed time, the self assessment of such dealers shall be made under section 23 of the RVAT Act, 2003"

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2009/2010 हेतु जिन व्यवहारियों ने समस्त तिमाही रिटर्न, वार्षिक रिटर्न, एवं ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 30.09.2011 के पूर्व प्रस्तुत कर दिया है तथा देयकर भी दिनांक 30.09.2011 से पूर्व राजकोष में जमा करवा दिया है, उन्हें डीम्ड असेसमेंट स्कीम का लाभ देय माना हैं तथा ऐसी स्थिति में रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि में परिवर्तन किया जाकर तिथि आगे की जा चुकी है जिससे इस तिथि से पूर्व रिटर्न आदि प्रस्तुत करने पर शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। चूंकि व्यवहारी द्वारा समस्त रिटर्न 01.08.2011 को प्रस्तुत कर दी थी तथा देयकर भी 30.09.2011 से पूर्व जमा करवा दिया था जिससे शास्ति का आरोपण विधि सम्मत नहीं है। अपीलीय अधिकारी ने उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील स्वीकार की है जो विधि सम्मत है तथा निर्णय में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं हैं।

5. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

6. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य